

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : - देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : - 93/2020

उनवान

1. प्रेम पत्नि मांगू,
2. हेमराज पुत्र मांगू,
3. सुंशीला पुत्री मांगू,
4. जाना पुत्री मांगू,
5. धनराज पुत्र मांगू,
6. शिवराज पुत्र मांगू,
7. हरिराम पुत्र मांगू,

8. पूजा पुत्री मांगू जाति भील निवासी ग्राम मोराझडी नसीराबाद

— वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. सुगनी पत्नि स्व. श्रवण,
2. कमल पुत्र स्व. श्रवण,
3. पांची पुत्री स्व. श्रवण,
4. संतो उर्फ संतोश पुत्री गुदड़,
5. मनोहर उर्फ मनदोर पुत्री गुदड़
6. प्रभू पुत्र गुदड़,
7. अमरा पुत्र गुदड़, जाति भील निवासी मोराझडी,

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

— प्रतिवादीगण :- 3 से 7 जरियें अधिवक्ता श्री परमेश्वर सिंह
1 व 2 अनुपस्थित, 8 जरियें राज0 पैरोकार



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राज0 कारत0 अधि0 1955

— आदेश :-

दिनांक :- 29/5/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम साम्प्रोदा के खाता संख्या 426/431 किता 3 रकबा 0.67, 427/432 किता 4 रकबा 0.76 व 454/451 किता 4 रकबा 1.69 की आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है। खाता संख्या 426/431 की आराजी श्रवण पुत्र भोमा के नाम, खाता संख्या 454/451 सुगना पुत्र भोमा व खाता संख्या 427/432 की आराजी उगमा, श्रवण, सुगना पि0 भोमा के नाम दर्ज है। उगमा व सुगना नाऔलाद फौत हो गया है तथा श्रवण भी फौत हो गया है जिनके वारिस वादीगण व प्रतिवादीगण ही है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है किन्तु प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे हैं व विभाजन से मना कर रहे हैं। अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावे। व प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 7 ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में जवाब पेश नहीं होने तनकी कायम नहीं की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने प्रेम व हेमराम के बयान करवाये व राजस्व अभिलेख पेश किये।



अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की वहस पर मनन किया। वादीगण का कथन है कि ग्राम साम्प्रोदा के खाता संख्या 426/431 किता 3 रकबा 0.67, 427/432 किता 4 रकबा 0.76 व 454/451 किता 4 रकबा 1.69 की में से खाता संख्या 426/431 की आराजी श्रवण पुत्र भोमा के नाम, खाता संख्या 454/451 सुगना पुत्र भोमा व खाता संख्या 427/432 की आराजी उगमा, श्रवण, सुगना पि0 भोमा के नाम दर्ज है। उगमा व सुगना नाऔलाद फौत हो गया है तथा श्रवण भी फौत हो गया है जिनके वारिस वादीगण व प्रतिवादीगण ही है। वादीगण द्वारा इस वाबत 50/रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया है व मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। जिनके अनुसार सुगना की मृत्यु दिनांक 7.8.2006 को, उगमा की मृत्यु दिनांक 9.2.2003 को हुयी है। इतने वर्षों तक उनकी विरासत की कार्यवाही वादीगण द्वारा नहीं करायी गयी है। साथ ही श्रवण की विरासत की कार्यवाही भी नहीं हुयी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उगमा व सुगना के नाऔलाद फौत होने के तथ्य सिद्ध नहीं होते हैं। प्रकरण में उगमा, सुगना व श्रवण के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच आवश्यक है। विरासत की कार्यवाही से पूर्व विभाजन का अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। वादीगण द्वारा विरासत नामान्तरकरण हेतु पूर्व में क्या कार्यवाही की गयी यह प्रकरण में स्पष्ट नहीं है।

अतः वाद का निस्तारण इस आशय से किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद प्रकरण में ग्राम साम्प्रोदा के खाता संख्या 426/431 किता 3 रकबा 0.67, 427/432 किता 4 रकबा 0.76 व 454/451 किता 4 रकबा 1.69 की आराजी पर धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विधिक प्रावधानानुसार सभी हितवद्द पक्षकार को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर देते हुये विरासत नामान्तरकरण की कार्यवाही करावे। विरासत दर्ज होने के बाद वादीगण विभाजन का वाद पेश कर सकते हैं। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

